

18/7/20

वकील पत्रमात्र उपस्थित वकील बजयंजि
जवाब प्रस्ताव नहीं कर सीधे अदालत से
निवेदन किया। अदालत वकील उपस्थित सुनी
गयी। उपस्थित अधिवक्तागण अदालत
निवेदनानुसार उपस्थित की पाठ्य विवरण
पर सहमति प्रकट की।

उक्त प्रार्थना पर स्वीकार कर
उपस्थित की उक्त प्रार्थना की अदालत निवेदनानुसार
से पाठ्य किया जाता है कि वे मूल वाद
के निर्णय तक विवादित अर्थात् चक्र 6 STB. 1
के प. नं. 24/270 मु. नं. 16 की कुल
6-2000 ई. पर मौका हेव लिफ्ट की
अवस्थिति बनार रहे। अर्थात् सुनाया
गया।

प्राथमिकी के अन्तर्गत में शुक्रवार को
मूल वाद के साथ फैलाने 23

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

